न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   /2015 निगरानी

निगरानी 1537-I-15

नवाब सिंह पत्रु बालकिशन किरार निवासी ग्राम अलापुर तह. जौरा जिला मुरैना म.प्र.

––– आवेदक

बिरूद्ध

1. रामअवतार
2. राकेश
3. शिवकुमार
4. विनोद

पुत्रगण बहादुरलाल निवासी एम.एस रोड़ न्यू बस स्टेन्ड के पास तह. जौरा जिला मुरैना म. प्र.

––– अनावेदकगण

श्री एस. पी. धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 16-06-15 को प्रस्तुत

16-6-15

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

16.6.15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय जौरा जिला मुरैना के प्र.क. 01/अ–27/13–14 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2015 के विरूद्ध निगरानी जानकारी दिंनाक 02.06.2015 से अन्दर अवधि प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पे,ा है :–

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :–

1. यह कि, ग्राम कृषक अलापुर तह. जौरा स्थित कृषि भूमि सर्वे क. 1053 रकवा 5625 वर्ग फीट को जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिंनाक 12.02.1986 से क्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत नामातंरण होकर राजस्व अभिलेख में नाम अंकित है। जिसके संबंध में आवेदक द्वारा का तहसील न्यायाालय जौरा जिला मुरैना के समक्ष संहिता की धारा 178 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्र.क. 01/अ–27/13–14 पर पंजीवद्ध कर विधिवत उद्योषणा जारी की गई आपत्तीयां आहुत की गई मौजा पटवारी से प्रस्तावित फर्द बटबारा चाहे जाने पर मौजा पटवारी द्वारा फर्द प्रस्तुत न कर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भूमि सर्वे कं. 1053 रकवा 23625 वर्ग फीट कुल क्षेंत्रफल है। परन्तु क्षेंत्रफल से अधिक भूमि को विक्रय कर दिया गया है। इस कारण फर्द बटबारा से पूर्व रकवा बरारी किया जाना उचित होगा। इस संबंध में तहसीदार महोदय द्वारा राजस्व निरीक्षक से उक्त सर्वे नं. की रकवा बरारी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1537 – एक /2015 निगरानी जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एंव विवरण	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
1.2.16	पूर्व पेशी पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। यह निगरानी तहसीलदार जौरा व्दारा प्रकरण क्रमांक 1 अ–27/ 2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6–4–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।	
	2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक नवाव सिंह ने अलापुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1053 के सामिलाती होने से बटवारा करने की मांग तहसीलदार जौरा से की है एंव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 01/अ–27/ 13–14 दर्ज करके निम्नानुसार अंतरिम आदेश दिनांक 6–4–15 पारित किया है –	
	" खसरा प्रविष्टि में नवाव सिंह पुत्र वालकिशुन रकबा 5625+365=5990 वर्गफीट सूरजप्रताप सिंह पुत्र सूबेदार सिंह रकबा 886 वर्गफीट, सपना पत्नि सूरजप्रताप सिंह भाग 1/2, किरन पत्नि राजकुमार सिंह भाग 1/2 दर भाग 2754 वर्गफीट , चिरोंजीलाल पुत्र मुरारीलाल की भूमि व रामदुलारी पत्नि रामकिसुन भाग रकबा 1650 वर्गफीट जाति किरार व योगेशकुमार लोकेशकुमार पुत्रगण अशोक कुमार समान भाग 1395 वर्गफीट जाति वैश्य निवासी जौरा रामअवतार,राकेशकुमार,शिवकुमार, बिनोदकुमार पुत्रगण बहादुरलाल समान भाग रकबा 6950 वर्गफीट (अपठनीय के वाद) कमलादेवी पत्नि शंकरलाल भाग रकबा 4000 वर्गफीट जाति वैश्य निवासी कस्वा जौरा भूमिस्वामी भू आगम पूर्वानुसार दर्ज कर प्रविष्टि सुधार किये जाने का आदेश दिया जाता है। मौजा पटवारी आदेशानुसार खसरा में अमल करे तथा प्रविष्टि सुधार उपरांत नवीन खसरा प्रकरण में पेश करे। "	

R 1537-II/15

3/ तहसीलदार व्दारा इस्तहार का प्रकाश दिनांक 7-10-13 को विधिवत् कराते हुये 7-11-13 तक आपत्तियां आमंत्रित की है इस्तहार के प्रकाशन में किसी प्रकार की त्रृटि करना नहीं पाया गया है।

4/ इसी प्रकार तहसीलदार ने उपरोक्तानुसार बटवारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 04 जौरा से स्थल निरीक्षण कराते हुये एंव पक्षकारों के समक्ष मौके स्थिति अनुसार जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया है एंव राजस्व निरीक्षक ने मौके पर कास्तकारों के कब्जे के मान से जांच रिपोर्ट दिनांक 13-8-14 प्रस्तुत की है।

5/ तहसीलदार के समक्ष आवेदक नवाव सिंह व्दारा प्रस्तुत बटवारा आवेदन में हितबद्ध पक्षकारों को सूचना होने के उपरांत अनावेदकक्रमांक 1 से 4 ने आपत्ति दर्ज कराई है एंव हितबद्ध पक्षकारों को तहसीलदार व्दारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है इसके वाद भी आवेदक का यह तर्क देना कि आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, माने जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार जौरा व्दारा प्रकरण क्रमांक 1 अ-27/ 2013-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6-4-15 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अमान्य की जाती है।

सदस्य